

पेज संख्या 1/3
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 17/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोंडेन्ट :-
मगनाराम पुत्र संग्राम जी गुर्जर जाति गुर्जर निवासी लोलावास तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी मारवाड जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोंडेन्ट की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक:-/14.06.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 78/2015 में नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2015 तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 28/2015 में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2015 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने अपीलाण्ट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर मौजा लोलावास पअवार हल्का सिनला तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नंबर 272 रकबा 0.0884 किस्म गोचर की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया। इसके पश्चात दिनांक 28.08.2015 को आदेश पारित करते हुए धारा 91 (2) के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट पर बेदखली, जुर्माना आरोपित किया तथा साथ ही तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलाण्ट द्वारा माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय द्वारा अपीलाण्ट का अपील खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील हाजा न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट का पुराना मकान व बाड़ा बना हुआ है। व इसी खसरे में अन्य मकानात बने हुए हैं। व स्कूल भी पास में बनी हुई हैं। अपीलाण्ट द्वारा इन्दिरा गांधी आवासीय योजना के तहत आवंटित राशि से ही उक्त योजना के तहत पक्के मकान बनाये गये हैं। जो राज्य सरकार व पंचायत द्वारा ही नाप चौप कर व जगह का मौका देखकर आवंटित की जाकर निर्माण करवाया गया है। वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

17/2016

मगनाराम बनाम सरकार

पेज संख्या 2/3

आराजी गोचर आराजी कतई नहीं है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास का दण्ड दिया गया है, जो विधि विरुद्ध है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्रकरण में अपनाई गई प्रक्रिया की कोई समीक्षा नहीं की तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तथ्य एवं विधिक प्रक्रिया के विपरित जाकर जैर अपील आदेश पारित किये हैं। अतः अपील स्वीकार करावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम देवली पाबूजी मौजा लोलावास पअवार हल्का सिनला तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नंबर 272 रकबा 0.0884 किस्म गोचर की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये हैं। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा लोलावास पअवार हल्का सिनला तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नंबर 272 रकबा 0.0884 किस्म गोचर की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का सिनला ने नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मगनाराम, किशनाराम पुत्र जीवाराम द्वारा उपरोक्त भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है, इस पर नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 31.07.2015 की तारीख पेशी नियत की। उसके पश्चात दिनांक 28.08.2015 को जैर आदेश के जरिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट मगनाराम को नोटिस जारी किया गया उक्त नोटिस अपीलाण्ट स्वयं को तामिल हुआ। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट का उक्त प्रकरण के संबन्ध में होन वाली समस्त कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया था, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा न ही किसी प्रकार से जवाब अथवा दस्तावेज आदि प्रस्तुत किये। इसके अतिरिक्त हल्का पटवारी ने अपने बयानों में वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण होना ताईद किया है। हस्तगत प्रकरण में वादस्थ भूमि कि किस्म गै0मु0 गोचर है, जो कॉमन लैण्ड की श्रेणी में शुमार है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा

मगनाराम बनाम सरकार
पाली

17/2016

मगनाराम बनाम सरकार

पेज संख्या 3/3

एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त उक्त किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। प्रकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण अपीलान्ट के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 78/2015 में नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2015 तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 28/2015 में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2015 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.06.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

